वैट अवधि में व्यापारियों की जमा जमानत राशि होगी वापस

वाणिज्यकर आयुक्त ने सभी जोन को जारी किया है निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। वैट की अवधि में पंजीकरण के दौरान व्यापारियों से ली गई जमानत राशि उन्हें लौटाई जाएगी। पर, इसमें एक शर्त भी लगाई गई है कि अगर कोई व्यापारी वैट की देनदारी का बकायेदार है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा। हांलाकि ऐसे प्रकरणों के निस्तारण के बाद ही उन्हें जमानत राशि के तौर पर जमा सिक्योरिटी (एफडीआर) लौटा दी जाएगी। वाणिज्यकर आयुक्त अमृता सोनी ने इस संबंध में सभी जोन के एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नरों को आदेश जारी कर दिए हैं।

सिक्योरिटी राशि वापस लेने के लिए संबंधित खंड अधिकारी के यहां आवेदन करना होगा। दरअसल, जीएसटी लागू होने के बाद से सभी जोन में वैट की अवधि में पंजीयन के समय जमा कराई गई सिक्योरिटी राशि वापस लेने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। अब चूंकि सभी प्रदेशों में जीएसटी लागू हो चुका है और इस एक्ट के तहत किसी भी तरह की सिक्योरिटी जमा कराने का कोई प्रवाधान नहीं है। लिहाजा विभाग का मानना है कि वैट के समय जमा की गई सिक्योरिटी राशि को लौटाने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है।

आदेश के मुताबिक जिन फर्म या व्यापारियों के वैट से संबंधित सभी प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है, उनकी सिक्योरिटी राशि के रूप में जमा एफडीआर लौटाने की कार्यवाही शुरू जाएगी। यानी, वैट अधिनियम के तहत पंजीकृत जिन फर्मों की पत्रावली हमेशा के लिए दाखिल दफ्तर हो चुकी हो और उस फर्म पर कोई बकाया शेष न है तो ऐसी फर्मों की सिक्योरिटी वापस की जाएगी। इसी तरह जिन फर्मों का वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले के सभी वर्षों के वैट से संबंधित वादों का निस्तारण हो चुका है और उन पर किसी तरह का देय बकाया नहीं है तो इनकी सिक्योरिटी भी वापस की जा सकती है।

नॉन जीएसटी गुड्स से संबंधित फर्मों को नहीं मिलेगा लाभ

सिक्योरिटी वापसी की सुविधा का लाभ नॉन जीएसटी गुड्स का कारोबार करने वाली फर्मों या व्यापारियों को नहीं मिलेगा। यानी उनकी सिक्योरिटी राशि नहीं लौटाई जाएगी। गौरतलब है कि तमाम ऐसी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जिनका व्यापारा आज भी वैट अधिनियम के तहत होता है। इसलिए नॉन जीएसटी वाले वस्तुओं के व्यापारियों को इसका लाभ न देने का फैसला किया गया है।